

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(आय-व्यय अनुभाग)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी-426 / आई0बी0 / 108बी0-22ए / अनु0-94 / पूंजीलेखा

लखनऊ: दिनांक : 31 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय में अनुदान संख्या: 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं0-143 / 2017 / 2142 / 17-27-सि-4-87 (डब्ल्यू) परि0 / 16, दिनांक 29.08.2017 द्वारा जनपद लखीमपुर-खीरी में फीडर चैनल के बायें बैंक के किमी0 6.500 से किमी0 9.500 के मध्य मेटल्ड रोड के मरम्मत कार्य की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से रु0 91.23 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग, लखनऊ को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है:-

( आकड़े लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक / उपशीर्षक / मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रदिष्टि धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 09-शारदा सहायक (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 10-नहरें 1014-सम्बद्ध कार्य 24-वृहत्त निर्माण कार्य	( शारदा सहायक) लखनऊ	91.23

रुपया इक्यानबे लाख तेईस हजार मात्र

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक-1 से 14 तक दिये नियमों/शर्तों के अधीन किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या: जी-426 / (1) / आई0बी0 / तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- उप सचिव, सिंचाई अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता ( मध्य ) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) / (अनुश्रवण) / (सूचना प्रणाली संगठन) सिं0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता ( शारदा सहायक ) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 8- अधिशासी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 9- प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10- कट फाईल।

( राशिद रंजी खा )

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

31/08/2017

4

प्राधिकृत संख्या-220/2017-18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(आय-व्ययक अनुभाग)  
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी-430/आई0बी0/108बी0-22ए/अनु0-94/पूजीलेखा

लखनऊ: दिनांक : 31 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या: 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं0-148/2017/2165/17-27-सिं0-4-94(डब्ल्यू)परि0/14, दिनांक-29-08-2017 द्वारा जनपद सोनभद्र घाघर मुख्य नहर से निकलने वाली राजवाहा के पुनर्स्थापित क्षमता के अनुरूप पड़ने वाले साइफन का चौड़ीकरण एवं सुरक्षात्मक दीवार बनाने की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रु 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुयी है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है :- ( आकड़े लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक / उपशीर्षक / मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रदिष्टि धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4701-मध्यम सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय 05-घाघर एवं गरई नहरें (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 10-नहरें 1006-पुनर्स्थापना 24-वृहत्त निर्माण कार्य	( सोन ) वाराणसी।	150.00

रूपया एक करोड़ पचास लाख मात्र

उपरोक्त धनराशि का आवंटन सन्तुष्ट कर जरी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक-1 से 9 तक दिये नियमों/शर्तों के अन्तर्गत किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा  
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या: जी-430/(1)/आई0बी0/लखनऊ-31/08/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद)

2- मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।  
3- मुख्य अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।  
4- मुख्य अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

( राशिद स्वीछां )  
मुख्य अभियन्ता (बजट)  
सिंचाई विभाग।  
31/08/2017

3118